रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225170
CG-DL-E-15022021-225170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] **नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942**
No. 54] **NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सचूना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं. 39/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के अध्याय–2 के तहत आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) से संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/56/एएम–13/पीसी–2[ख]/भाग–I/पी–197.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा जीएसपी स्कीम के तहत उद्‌गम के नियमों पर निर्यातकों के घोषणा (स्व प्रमाणन आधार पर) के सत्यापन हेतु प्रावधान शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.104 (ग) को संशोधित करते हैः

2.104 मौजूदा पैरा	**2.104 संशोधित पैरा**
(ग) यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्‌गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए स्व–प्रमाणन स्कीम लागू की है। 01.01.2017 से शुरु पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी स्कीम के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्‌गम पर विवरण को स्व प्रमाणित करने में सक्षम हैं। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या प्रभार के है। इस स्कीम का विवरण	(ग) (i) यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्‌गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए स्व–प्रमाणन स्कीम लागू की है। पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी स्कीम के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्‌गम पर विवरण को स्व प्रमाणित करने में सक्षम हैं। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या प्रभार के है। इस

परिशिष्ट–2ग के अनुलग्नक–I पर है। (ii) सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयात करने वाले देश के आयातकों/सीमाशुल्क एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर उद्गम के स्व–प्रमाणित प्रमाणपत्र के पश्च सत्यापन का कार्य किया जाएगा और प्रभारित शुल्क का विवरण परिशिष्ट–2ट पर दिया गया है। एजेंसियों द्वारा इकाई से अलग से सरकारी दरों के अनुसार, टीए और डीए प्रभारित किया जा सकता है।	स्कीम का विवरण परिशिष्ट–2ग के अनुलग्नक–I पर है। (ii) सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयात करने वाले देश के आयातकों/सीमाशुल्क एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर उद्गम के स्व–प्रमाणित प्रमाणपत्र के पश्च सत्यापन का कार्य किया जाएगा और प्रभारित शुल्क का विवरण परिशिष्ट–2ट पर दिया गया है। एजेंसियो द्वारा इकाई से अलग से सरकारी दरों के अनुसार, टीए और डीए प्रभारित किया जा सकता है। (iii) इसके अलावा, स्व प्रमाणन प्रणाली के तहत जीएसपी का लाभ उठाने हेतु अपेक्षित शर्तो के अनुसार, लाभार्थी देश को ऐसे उद्गम के स्व प्रमाणित प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रणाली की आवश्यकता है। स्व प्रमाणित ईसीओ के सत्यापन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया जिसका सभी प्राधिकृत एजेंसियों/स्थानीय प्रशासकों द्वारा पालन किया जाएगा उसका ब्यौरा परिशिष्ट–2ग के अनुलग्नक–II में वर्णित है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के अध्याय–2 के तहत जीएसपी स्कीम के अंतर्गत उद्गम के नियमों पर निर्यातकों की घोषणा (स्व प्रमाणन आधार पर) के सत्यापन हेतु प्रक्रिया को प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.104 में शामिल किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th February, 2021

No. 39 /2015-2020

Subject: Provision for verification of the exporters declaration (self certification basis) on the Rules of Origin under GSP Scheme–amendment in Para 2.104 (c) of Handbook of Procedures, 2015-2020.

F. No. 01/93/180/56/AM-13/PC-2[B]/Part-I/P-197.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby revises para 2.104 (c) of Handbook of Procedures, 2015-2020 to insert the provision for verification of the exporters declaration (self certification basis) on the Rules of Origin under GSP Scheme as under:

2.104 Existing para	2.104 Revised para
(c) The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX) introduced from 1.1.2017, exporters with a REX number are able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges. The details of the scheme are at Annex 1 to Appendix 2C.	(c) (i) The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX), exporters with a REX number are able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges. The details of the scheme are at Annex 1 to Appendix 2C. (ii) The competent Local Authorities would undertake post verification of self certified Certificate of Origin based on the

The competent Local Authorities would undertake post verification of self certified Certificate of Origin based on the request of the importers/customs agencies of the importing country and the fee to be changed is detailed in Appendix 2K. Agencies may charge TA and DA, as per government rates, separately from the unit	request of the importers/customs agencies of the importing country and the fee to be changed is detailed in Appendix 2K. Agencies may charge TA and DA, as per government rates, separately from the unit. (iii) Further, as per the conditions required to avail GSP benefit under self certification system, the beneficiary country needs to have a verification system of such self certified certificates of origin. The standard operating procedure for verification of the self certified eCoOs, to be followed by all Authorized agencies/Local Administrators is detailed in Annex II to Appendix 2C.

3. **Effect of this Public Notice:** Procedure for verification of exporters declaration (self certification basis) on the Rules of Origin under GSP Scheme under Chapter-2 of Handbook of Procedures, 2015-2020 inserted in para 2.104 of Handbook of Procedures, 2015-2020

AMIT YADA, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.15 22:17:33 +05'30'